ACCENT JOURNAL OF ECONOMICS ECOLOGY & ENGINEERING
Peer Reviewed and Refereed Journal IMPACT FACTOR: 7.98 (INTERNATIONAL JOURNAL)
UGC APPROVED NO. 48767
Vol.04, Issue 04, April 2019, Available Online: www.ajeee.co.in/index.php/AJEEE

खाप पंचायत की प्रासंगिकता एवं महिलाओं के अधिकार

[१]संजय बुन्देला, [२]मुनीशा शर्मा
[१,२]मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग
ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान, भारत

प्रस्तावना

खाप यानि सर्वखाप एक सामाजिक प्रशासन संस्था है, जो भारत मे उत्तर पश्चिमी राज्यों जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल से चली आ रही है। समाज में सामाजिक संस्कृति, परम्पराओं, प्रथाओं, रीतियों और विश्वासों को बनाए रखने के लिए समाज में सामाजिक नियंत्रण हेतु औपचारिक व अनौपचारिक नियंत्रण संस्थाओं का गठन होता रहता है। इनमें ही एक अनौपचारिक सामाजिक संस्था ही खाप पंचायत है।

जाट समाज में इस व्यवस्था का प्रचलन आज भी है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जाति पंचायत, गौत्र पंचायत, ग्राम पंचायत होती है जो सामाजिक व्यवस्था पर निगरानी रखते हुए एक दण्ड और न्याय की संस्था में परिवर्तित हो चुकी है। खाप पंचायतें पारस्परिक पंचायतें है जो गौत्र या बिरादरी विशेष सभी गौत्र मिलकर खाप पंचायत बनाते है। एक मानक क्षेत्र गवाहंड में कई गांव होते है और इन्हीं गांवों को मिलाकर खाप पंचायत बनती है। हर खाप के गांव निश्चित होते है। विभिन्न खापों को मिलाकर एक सर्वखाप पंचायत बनती है।

हरियाणा के गांवों का इतिहास

हरियाणा के गांवों का इतिहास देखे तो ज्ञात होता है कि अधिकांश गांव गौत्र पर आधारित है। एक ही गांव एक ही गौत्र के लोगों का या कई गौत्र के लोगों के रहने के कारण उनके बीच के संबंधों को भाईचारे का सिद्धांत मान लिया जाता है। जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि गांव के सभी लडके और लडकियां एक दूसरे के भाई बहिन है। जिनके बीच किसी भी प्रकार का रिश्ता एक अपराध है। यह स्पष्ट करना मुश्किल है कि ३६ बिरादरी वाली खाप पंचायत कैसे वर्तमान में जाटों तक ही केन्द्रित हो गई है। वर्तमान समय में प्रचलित अधिकांश खाप पंचायत के मुखिया चौधरी के नाम से ही जाने जाते है।

चौधरी जाटों का सम्मानित पद होता है। जो खाप पंचायतें अन्याय के विरूद्ध आवाज उठाने के लिए जानी जाती थी आज वही सगौत्र विवाह और ऑनर किलिंग जैसे गंभीर मुद्दों मे फंसती जा रही है। खाप पंचायतों का इतिहास १३५० वर्ष पुराना है। खाप दो शब्दों से मिलकर बना है ख और आप। ख का अर्थ है आकाश और आप का अर्थ है जल अर्थात् जो सब जगह आकाश की तरह व्यापक और जल की भांति निर्मल है। आज जाटों की करीब ३५०० खाप अस्तित्व में है। पाल या खाप का क्षेत्र निर्धारित होता है। हर गांव के गांव निर्धारित होते है। जैसे बडवासनी बारह के १२ गांव, कराला के १७ गांव, चौहान खाप के ५, तोमर खाप के ८४ गांव, दहिया चालीसा के ४० गांव, पालप खाप के ८४ गांव, मीतरोल खाप के २४ गांव तथा सर्वखाप में २२ गांव शामिल है।

यह फरीदाबाद, बल्लभगण से लेकर मथुरा जिले के छाता, कोसी तक फैला विशाल संगठन है। इसमें करीब १००० गांव है। इस खाप में कोसी की डीडे पाल, कामर की बेनीवाल पाल, होंडल की सोंरोत पाल, पैगांव की रावत पाल आदि शामिल है। यह पाल दहेज निवारण में सबसे आगे है। इस तरह खाप पंचायते रामायण काल से महाभारत काल और मौर्य काल से हर्षवर्धन के काल तक देखने को मिलती है। मुगल शासन से होते हुए आज भी इनका अस्तित्व कायम है। खाप पंचायतों को समाज सुधार, लोकतंत्र में ग्राम स्वराज, प्रशासनिक व्यवस्था में ग्रामीण स्तर पर प्रशासन, प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास आदि के लिए बनाया गया था। वर्तमान में यह खाप वक्त के साथ बदल नहीं पा रही है। इनमें सुधार की जरूरत है।

यह खाप पंचायतें आज भी यांत्रिक एकता पर कार्य करती है और परम्परागत रूप से विधि विधानों को मानती है। ऐसे में एक तरफ यह संस्कृति बचाने की बात तो करती है परंतु दूसरी तरफ समाज में खौफ, महिलाओं का शोषण आदि समस्याओं को जन्म देती है। खाप प्रणाली में कई विभाजन और उपविभाग हैं, और उन्हें एक श्रेणीबद्ध क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और ये सभी व्यक्तिगत संरचनात्मक इकाइयां सामूहिक रूप से एक खाप का गठन करती हैं। एक परिवार एक खाप की एक बुनियादी इकाई है और परिवारों का एक समूह मिलकर कुनबा का गठन करता है। खाप की अगली सूत्रधार इकाई थीला या थूला है जो आगे कई कुनबों का समूह है। थोलस का एक समूह पन्ना का गठन करता है।

पन्ना को हरियाणा के गाँवों में कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे पट्टी, बगरह, बघी, आदि। इस पदानुक्रम में अगली इकाई गाँव है। जाट गाँव जो कुछ पन्नो से जुड़कर बने है। पास के गाँवों के एक समूह को गावंड के नाम से जाना जाता है। एक खाप की अगली और उच्चतर प्रारंभिक इकाई टप्पा है जिसमें कई गाँव शामिल हैं और खाप की एक महत्वपूर्ण इकाई है। थापा, पन्ना और टप्पा, खाप की इन सभी इकाइयों ने एक बार राजस्व इकाइयों के रूप में काम किया है। अकबर के शासनकाल के दौरान, उनके राजस्व मंत्री टोडरमल ने लगभग पूरे उत्तर भारत को कई प्रशासनिक हलकों में विभाजित किया, जिन्हें परगना कहा जाता था और एक परगना के भीतर अलग—अलग तपस थे और ये तपस जाट वंशों के वितरण के अनुसार गठित किए गए थे।

मुगल के दौरान १० नियम, इन तपों का गठन किया गया था, और हो सकता है कि बाद में इन तपों से संबंधित लोग खाप का गठन कर एक बैनर के नीचे एकजुट हो गए। इस प्रकार एक विशेष खाप का गठन करने वाले तपस एक विशेष जाति और गोत्र से संबंधित हो सकते हैं या अलग—अलग कुलों और अलग—अलग जातियों से संबंधित तपस ने भी एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए खाप का गठन किया हो सकता है।

खाप पंचायत का महिलाओं के अधिकारों पर प्रभाव

खाप पंचायतों के कारण महिलाओं के विरूद्ध हिंसात्मक व्यवहार लगातार बढ़ रहा है। मुजफ्फरनगर और बागपत दोनों क्षेत्रों में महिलाओं पर घरेलू हिंसा, बलात्कार, शैक्षिक व सामाजिक, आर्थिक अत्याचार, ऑनर किलिंग बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही हरियाणा में आज भी कन्या हत्या, कन्या भ्रूण हत्या सामान्य बात है। साथ ही खाप पंचायतें इन क्षेत्रों में अपने नए नए फरमान जारी कर रही है। लड़कियों को मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता, आधुनिक कपड़े लडकियां नहीं पहन सकती, लडकियां बिना पुरूष सदस्य के घर के बाहर नहीं जा सकती, लडकी अपनी मर्जी से विवाह और शिक्षा का अधिकार नहीं ले सकती।

लडकियों को बाहर काम करना मना है। ऐसे माना जाता है कि खाप पंचायतों का काम संस्कृति की रक्षा करना मात्र दिखावा है। यह पंचायतें मात्र पुरूषसत्तात्मक समाजों का प्रतिनिधित्व करती है। जिसमें एक महिला को कैद करके उसका शोषण करना ही एकमात्र उद्देश्य उजागर होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उनके बच्चे निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। वे प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारों, प्रक्रियाओं से अनजान है। अधिकतर महिलाऐं सामाजिक मान्यताओं, सामाजिक अंत:क्रियाओं पर प्रतिबंध, असुरक्षित और हिंसक वातावरण के कारण अपनी आवाज नहीं उठा पाती।

ऐसा नहीं है कि शहरी महिलाओं की स्थिति ग्रामीण महिलाओं से बहुत अच्छी है लेकिन खाप पंचायतों ने ग्रामीण महिलाओं की सांसों तक पर अपना अधिकार समझ रखा है। हरियाणा में खाप पंचायतों के कारण ही लिंगानुपात तेजी से गिर रहा है। हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों का ग्राफ बढ़ रहा है। खाप पंचायतें सामाजिक संस्थाऐं परंतु इन पर कठोरता से रोक लगाई जा सकती है। वहीं खाप पंचायतों को भी अपनी भूमिका का मंथन करने की आवश्यकता है। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं खाप पंचायतों की प्रासंगिकता में सकारात्मक संबंध है। स्थानीय खाप पंचायत महिला की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यह जरूरी है कि खाप पंचायतों के तानाशाही फरमान का उन्मूलन कर महिलाओं को स्वतंत्र रूप से जीने की आजादी दी जाए।

महिलाओं को लेकर परिवार, समाज और खाप पंचायतों को अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। आधुनिकता हमेशा ही संस्कृति को हानि नहीं पहुंचाती है। आधुनिकता को परम्परागत संस्कृति से मेल करवा कर स्वीकार किया जा सकता है और यह आवश्यक है क्योंकि बिना शिक्षा, अधिकार, स्वतंत्रता के महिलाऐं यदि आगे नहीं बढेगी तो यह राज्य और देश के विकास में एक धब्बा है। खाप पंचायतों को महिलाओं के पहनावे, खान पान, शिक्षा, विवाह, आवागमन, मोबाइल आदि जैसे निजी अधिकारों से दूर करना भी आवश्यक है। निगरानी करना एक आवश्यक कार्य है जो खाप पंचायते कर सकती है परंतु फरमान जारी कर तानाशाही करने का अधिकार भारत का संविधान उन्हें नहीं देता है।

REFERENCES

1. Hindustan, Meerut 31 March 2010, P-2
2. Amar Ujala 31 March 2010, P & 9
3. http://www/azadindia.org/social-issues/khap-panchayat-in-india.html
4. http://beta.thehindu.com/opinion/lead/article424506.ece?homepage=true
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Khap#Functioning_of_Khaps
6. yahoo India News 1st Jan-Jagran
7. Rediff News, Divided UPA to form GoM on Khap Panchayat issue, July 08, 2010.